# (ड्राफ्ट)
# राजस्थान राज्य ग्रामीण स्वच्छता एवं स्वास्थ्य नीति 2011

## 1.परिचय :

सम्पूर्ण स्वच्छता गरीबी उन्मूलन एवं स्वच्छता के खतरों को कम करने मे बुनियादी इमारत की तरह है। मानव मल के पुर्नचक्रण,निस्तारण की उपयोगी गतिविधियों के कारण यह पर्यावरण एवं मानव के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में कारगर है। यदि आजीविका एवं उत्पादक कार्यो में लगे लोग यदि बीमार हो जाए तो परिवार के सदस्यों के देखभाल के कारण मानव श्रम दिवसों की हानि होती है,जिससे परिवार गरीबीचक्र के जाल में फंस जाता है। राज्य की यह स्वच्छता नीति यहॉ निवास करने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। निर्मल राजस्थान राज्य का सपना है जिसमें स्वच्छ एवं स्वस्थ्य लोग अपना बहुमूल्य योगदान कर सके।

राजस्थान में 33 जिले, 248 पंचायत समितियॉ, 9177 ग्राम पंचायतें एवं 41353 गांव, मजरे एवं ढाणियॉ है, यहॉ की अधिकांश जनसंख्या बिखरी हुई है। भौगोलिक विविधता वाले इस राज्य का पश्चिमी भाग मरूस्थल एवं दक्षिणी भाग पहाड़ी है। यहॉ विभिन्न प्रकार के लोकाचार, रीति रिवाज एवं सांस्कृतिक विविधता के कारण स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संम्बंधी आदतें एवं व्यवहार भिन्न–भिन्न है। इसलिए यह आवश्यक है, कि स्थानीय क्षेत्र की जरूरत के अनुसार अलग–अलग तरीके से कार्य किया जाए।

स्वच्छता आच्छादन के सन्दर्भ में राजस्थान ने पिछले दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2001 में राज्य का स्वच्छता आच्छादन 14.61 प्रतिशत था। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के वेवसाईट के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जुलाई तक राज्य में स्वच्छता आच्छादन 67 प्रतिशत तक बढ गया है। वेवसाईट के अनुसार राज्य में पाठशाला एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता सुविधाओं का आच्छादन क्रमशः 90 एवं 58 प्रतिशत है। संस्थाओं में निर्मित शौचालयों के उपयोग का प्रतिशत सन्तोषजनक नही है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे संगठन के एक अध्ययन के अनुसार केवल 18 प्रतिशत लोगों के द्वारा स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है। राज्य से अब तक 289 ग्राम पंचायते पुरूस्कृत हुई है। जो कुल ग्राम पंचायतों का केवल 3 प्रतिशत है। पुरूस्कृत ग्राम पचातयों में से अनेक पंचायत की दशा सन्तोषजनक नही है। वहां लोग पुनः खुले में शौच के लिए जा रहे है।

राजस्थान में हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर 59 प्रति हजार है, जबकि ग्रामीण राजस्थान में 69 प्रति हजार है। ये आकड़ें राष्ट्रीय औसत 50 से

अधिक है। अधिक शिशु मृत्यु दर वाले राज्यों में राजस्थान पॉचवे स्थान पर है। राज्य की कुल उर्वरता दर 3.4 है जबकि राष्ट्रीय औसत दर 2.7 है। राज्य की मातृ मृत्यु दर का औसत 388 प्रति लाख जीवित जन्म पर है,जबकि यह राष्ट्रीय औसत 254 है। राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे–3 वर्ष 2003–06 के अनुसार राज्य में 0–3 वर्ष बच्चों में कुपोषण की दर 44 प्रतिशत है। इसमें कोई शक नही कि ये स्वच्छता सूचक राज्य मे स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की असन्तोषजनक स्थिति की ओर संकेत करते है।

सरकार के स्तर पर एक सुसंगत एवं सहायक स्वच्छता नीति की आवश्यकता है, ताकि व्यापक स्तर पर स्वच्छता सेवाओं को आधार प्रदान करें।

यह देखते हुए पंचायती राज विभाग,राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण स्वच्छता के लिए एक व्यापक नीति के निर्माण का निर्णय लिया गया है। जिससे राज्य में स्वच्छता के क्षेत्र में प्रभावी कार्य किया जा सके।

## 2. दृष्टिकोण :

**जिस दिन हम में से प्रत्येक व्यक्ति को उपयोग के लिए शौचालय उपलब्ध हो जाएगा , उस दिन हमारा देश प्रगति के शिखर पर पहुॅच जाएगा।**

**– जवाहर लाल नेहरू**

**'निर्मल राजस्थान'** एक सपना है साफ एवं स्वस्थ राज्य का, जिसमें निवास करनेवाली राज्य की जनता को स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध हो, जिसका उपयोग कर उनके जीवन के गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। घरों,संस्थाओं एवं सार्वजनिक स्थलों में स्वच्छता सुविधाए लोगों की पहुॅच में हो, जिससे राज्य के लोगों द्वारा स्वच्छता की आदतें को अपना कर राज्य मे उत्पादकता बढाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके।

## 3. नीति के उद्देश्य :

- वर्ष 2015 तक ग्रामीण समुदाय में 100 प्रतिशत खूले में शौच से मुक्ति, स्वच्छता सुविधाओं के शत–प्रतिशत उपयोग एवं रख–रखाव सुनिश्चित करना।
- वर्ष 2017 तक राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर जैसे बाजार, बस, स्टेण्ड, धार्मिक एवं पर्यटक स्थल पर स्वच्छता सुविधाओं की पहूंच सुनिश्चित करना।
- वर्ष 2020 तक समुदाया द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों के व्यवहार को सुनिश्चित कराना।

- ग्रामीण जनों मे जल एवं भोजन के रख–रखाव व उपयोग की आदत को स्थापित करना।
- गांव मे एकत्रित होने वाले ठोस एवं तरल कचरे का प्रबंधन एवं गांव की स्वच्छता सुनिश्चित करना।

## 4. नीति सिद्धांत :

- पंचायतीराज संस्थाओं को सशक्त बनाते हुए विकेन्द्रिकृत और मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाना ।
- व्यवहारगत परिवर्तन संचार को सहभागी पद्धति के आधार पर अपनाकर सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन पर जोर देंना।
- सम्पूर्ण स्वच्छता पर जोर,पहले खुले में शौच से मुक्त समुदाय को प्राथमिकता एवं बाद में व्यवहारगत स्वच्छता पर जोर एवं ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन करना।
- एकीकृत तरीके से पहले स्वच्छता को लागू करना एवं अन्य ग्रामीण विकास की योजनाओं के साथ इसका अभिसरण करना।
- समुदाय के द्वारा आंशिक लागत के साथ स्वच्छता सुविधाओं का रखरखाव की जिम्मेदारी देना।
- मानव अधिकारों की सुरक्षा विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के सुरक्षा,नीजता एवं लोगों की गरीमा को सुरक्षित रखना।

## 5. नीति मानदण्ड :

**(क) एक स्वच्छता शौचालय के मानदंड है कि**

- यह मानव मल एवं उसमें व्याप्त कॉलिफार्म को वातावरण में प्रवेश करने से रोकने वाला हों ।
- मानव मल मानव सम्पर्क से अलग हो ।
- यह दुर्गंध को समाप्त करे।
- यह जमीन और पानी की सतह को दूषित नही करे।
- यह उपयोगकर्ता के लिए गोपनीयता सुश्चित करे।
- यह खाद के रूप में मानव मल को पुर्नचक्रण द्वारा पोषक तत्वों की को बढ़ावा देने वाला हो।

### (ख) सुरक्षित स्वच्छता व्यवहार के लिए मानदंड

- सभी शिशुओं के मलमूत्र का निपटान शौचालय में किया जाना चाहिए एवं हाथ की सफाई साबुन एवं पानी से करें।
- सभी के द्वारा खाना बनाने एवं खाने से पहले ,शौच के बाद ,शिशुओं एवं बच्चों के मल की सफाई के बाद, साबुन से अवश्य हाथ धोने चाहिए ।
- सभी पाठशालाओं एवं आगनवाड़ी केन्द्रों में हर समय पानी एवं साबुन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

### (ग) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए मानदंड

- स्रोत के पास ही विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- कृषि कार्य में कम्पोस्ट के द्वारा अपशिष्ट के पोषक तत्वों का पुर्नचक्रण एवं उपयोग,रसोई से निकलने वाले तरल पानी से उद्यान एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए।
- सार्वजनिक प्रणाली के संचालन एवं रख–रखाव की व्यवस्था सम्बन्धी व्यय सामुदायिक/ ग्राम पंचायत द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

## 6. नीति–दष्टिकोणः

- नीति के तहत समयबद्ध धनात्मक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि आपूर्ति तंत्र प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाना, जन जागरूकता एवं व्यवहारगत परिवर्तन, मानव संसाधन विकास का क्षमता–संवर्द्धन, वित्तीय एवं प्रोत्साहन आदि के लिए कार्य करना।
- बी.पी.एल.व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के लिए कोई सब्सिडी नही दी जाएगी। शौचालय के निर्माण एवं उपयोग के 6 महीने बाद प्रोत्साहन राशि देना सुनिश्चत किया जाए।
- प्ररकों को प्रोत्साहित कर वांछित खूले में शौच से मुक्त परिणाम आधारित ढॉचा का निर्माण किया जाना चाहिए।

## 7. नीति का फोकस :

एकीकृत रूप से लगातार व्यवहारगत परिवर्तन लाने एवं स्वास्थ्यप्रद आदतो को अपनाने के लिए संयुक्त रूप से ऐसे प्रयास किए जाने आवश्यक है, जिससे खुले में शौच की प्रवृत्ति को स्थाई रूप से समाप्त किया जा सके।

## 8. नीति – प्राथमिकताऍं :

- प्रभावी आयोजना एवं क्रियान्वयन हेतु संस्थगत विकास।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं कार्यक्रम के क्रियान्वय हेतु पंचायतीराज संस्थाओं का सशक्तिकरण।
- सहभागी पद्धति द्वारा प्रेरणा देनेवाले व्यवहारगत परिवर्तन पर जोर।
- उपयुक्त प्रद्यौगिकी का चयन एवं मजबूत आपूर्ति श्रृखला सुनिश्चित करना।
- कम प्रगति वाले जिलों में केन्द्रित गतिविधियों के लिए पर्याप्त संसाधानों का आवंटन ।
- स्वच्छता के स्थायित्व के लिए प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता द्वारा मानव संसाधनों का क्षमतासंवर्द्धन ।
- व्यवहार गत परिवर्तन हेतु प्रेरको को प्रोत्साहित करना
- निर्णय के लिए व्यापक डाटावेस का निर्माण।
- व्यवहारगत परिणामों के संकेतकों को शामिल कर सीखने, जवाबदेही, सुधारात्मक उपाय अपनाने, मूल्यांकन एवं निगरानी की एक मजबूत प्रणाली का निर्माण करना।
- अन्य प्रांतों के साथ प्रेरणादायी केस स्टडी को साझा करना।

## 9. नीति –रणनीति :

उपरोक्त स्व्च्छता नीति के आधार पर वर्ष 2015 तक निर्मल राजस्थान एवं वर्ष 2022 तक स्वच्छ राजस्थान का निर्माण होगा।

## 10. नीति की समीक्षा :

यह नीति पत्र राज्य के लिए दस साल के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टि है,इसका जुड़ाव राष्ट्रीय नीति के साथ किया गया है। इस नीति का मध्यावधि में उपब्धियों एवं चुनौतियो के आधार समीक्षा कर बदलाव किया जा सकेगा।

●